International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-3, Issue-1 February- 2016
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

झुन्झुनूं जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित 'लहर परियोजना' के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण एवं विद्यार्थियों के नामांकन व ठहराव का अध्ययन

डॉ. मनोज झाझडिया
प्राचार्य
कानोरिया बी. एड. कॉलेज
मुकुन्दगढ

संतोष टांडी
शोधार्थी
जे. जे. टी.यूनिवर्सिटी,चुडैला

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में 86 वें संविधान संशोधन दिसम्बर 2002 द्वारा मूल अधिकारों में नया अनुच्छेद 21 (अ) जोड़ा गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बनाया गया है इसका मूल उद्देश्य शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाना है। 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वाँ मूल कर्त्तव्य जोड़कर 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मुहैया कराने को माता–पिता व अभिभावक का मूल कर्त्तव्य बनाया गया है। इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास कोठारी आयोग द्वारा (1964–66) द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्ष आयोग ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की इस गम्भीर समस्या पर विचार किया और यह लक्ष्य रखा गया कि कक्षा 5 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य 1975–76 तक तथा प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य 1985–86 में प्राथमिक शिक्षा के घर–घर तक न पहुँच पाने की समीक्ष की गई और इस चुनौति का आंकलन किया गया तथा एक दस्तावेज 'शिक्षा की चुनौतियाँ नीति सम्बन्धी परिपेक्ष्य' अगस्त 1985 में जारी किया गया।

दस्तावेज द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो के अनुसार 1958 से 1979 तक प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि दर 6.2 से 2.5 प्रतिशत थी। 1971 से 1981 के दशक में नामांकन वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत ही रह गयी। 1985 की नीति सम्बन्धी परिपेक्ष्य के आधार राजनीतिक पहल पर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर प्रकाशित की गई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह विशेषता रही कि इस में सर्वाधिक बल प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर दिया गया।

नई शिक्षा नीति के परिणामों की समीक्षा करने के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया जिसने अपनी रिर्पोट 1992 में प्रस्तुत की। जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन योजना में संशोधन किया इसी दौरान प्रो. यशपाल समिति की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई जिसमें बस्ते के भार को कम करने का सुझाव दिया गया था। उपरोक्त तीनों समितियों के सुझाव काफी सराहनीय रहे जिन्होनें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौतिकरण को सर्वोच्च प्राथमिक दी है।

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विभिन्न स्तरों पर नामांकन एवं ठहराव हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। प्रयासों के इसी अनुक्रम में एक प्रयास है 'लहर कार्यक्रम' नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य के लिए सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार युक्त परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षको की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन एवं ठहराव अभियान चलाना है। बालक बालिका के नामांकन एवं ठहराव अभियान हेतु सत्र 1997–98 से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1. लेक जुम्बिश परियोजना।
2. शिक्षाकर्मी।
3. गुरू मित्र।
4. सरस्वती योजना।
5. अनौपचारिक सहज शिक्षा केन्द्र।
6. लहर परियोजना (यह कार्यक्रम 2008–09 से संचालित किया जा रहा है।)

सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्यों को 2010 तक प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व–शिक्षा अभियान नामक एक महत्वकांक्षी योजना सम्पूर्ण देश में आरम्भ की गई है। वर्ष 2002–03 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 32 जिलों के लिए 17434.48 लाख रूपये की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं

25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विभिन्न स्तरों पर इस हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है।

1 कि.मी की परिधि में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता होने से प्रत्येक बच्चें की शिक्षा तक पहुँच बनी है। विद्यालयी भवनों की स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। शिक्षा में जन भागीदारी के कारण हर माता–पिता अपेन बच्चें को पढ़ाने के लिए सोचने लगे है। शिक्षकों की संख्या में भी आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी हुई है। इस कारण नामांकन एवं ठहराव कठिन नही रह गया है। पहले की अपेक्षा विद्यालयों में विद्यार्थियों का ठहराव अधिक हुआ है।

झुन्झुनू जिले में S.S.A योजना द्वारा निम्न लक्ष्य रखे गये है–

1. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा तंत्र का सुदृड़ीकरण करना।
2. 6 से 14 आयु वर्ष के बालक–बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिशिचित करना।
3. 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना।
4. शिक्षा में नवाचार लाना।

अध्ययन की आवश्यकता व महत्त्व

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किये गये प्रयास एवं उनसे हुई उपलब्धियों विचारणीय व चिन्तनीय है। अरबों रूपये खर्च होने के बाद भी करोड़ो निरक्षर क्या है? हमारी योजना में कहां पर कमी रही है इसका क्या कारण है? इत्यादि प्रश्न हमारे सामने अभी भी मुंह खोल पड़े है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता बढ़ाने में आज तक कोई विशेष असर नहीं हुआ है। सरकार द्वारा नई–नई योजनाएं लाने के बावजूद भी बालकों का विद्यालय छोड़ना जारी है। वर्तमान में सरकार विद्यार्थी को पका हुआ भोजन (पोषाहार) एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है। पाचंवी तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करवा रही है फिर भी वांछित ठहराव नहीं हो पा रहा है। झुन्झुनू जिले में प्राथमिक स्तर (कक्षा–5) ठहराव कितना हो रहा है? नामांकन व ठहराव के लिए क्या –क्या उपाय किये गये है? विद्यालय से विद्यार्थियों के पलायन के क्या कारण रह है? इत्यादि सवालों का हल जानने के लिए इस शोध कार्य की आवश्यकता हुई है। अतः इन सबकों जानने के लिए यह अध्याय करना आवश्यक समझा गया है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयास किये है। शिक्षा की स्थिति में उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ यथा शुल्क–मुक्ति वस्त्र–पुस्तकादि का निःशुल्क वितरण छात्रवृतियाँ, भत्ते आदि प्रस्तुत की गई है। शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु आयोजको, शोधकर्ताओं को उन बाधाओं, कारकों का अध्ययन करना। आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अनेक कार्यक्रम चलाये है जैसे लर्निंग गारन्टी कार्यक्रम क्वालिटी एश्योरेस, सर्व शिक्षा अभियान, लहर परियोजना आदि। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में किस स्तर तक सुधार हुआ है। छात्र नामांकन तथा ठहराव किस स्तर तक सुनिश्चित हुआ विद्यालयी वातावरण में सुधार आदि प्रश्नों के उचित मूल्यांकन हेतु इस अध्ययन को समस्या के रूप में लिया गया है। ताकि निकट भविष्य में इस शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अन्य प्रयासों को क्रियान्वित किया जा सके।

इस अध्ययन से हमें यह स्पष्टीकरण मिल जायेगा कि उपर्युक्त योजनाओं में शिक्षकों छात्रों तथा अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी है तथा शिक्षा गुणवत्ता, छात्र नामांकन तथा ठहराव के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होगें।

अध्ययन से संबंधित साहित्य का अध्ययन

1. **अनिता पाल (2002)** ने कोटा जिले में समाज के वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के 6–14 आयु वर्ग के बालकों के विद्यालयीकरण की समस्याओं का अध्ययन करना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना था। इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित है–

1. एन.एस.जी बालक–बालिकाओं के अधिकांशअभिभावक निरक्षर पाये गये जो शिक्षा के प्रति सजग नही थे।
2. अधिकांश बालिकाएं घेरलू कार्य व छोटे भाई–बहनों को सम्भालने के कारण विद्यालयों से नहीं हुड पाते है।
3. अधिकांश बालक घरेलू व्यवयास में हाथ बटाते है या पशु चराते है इसलिए विद्यालय से नहीं जुड पाते है।
4. विद्यालय का घर से अधिक दूरी पर होने पर दूसरे बच्चों द्वारा वंचित वर्ग के बालकों का हेय दृष्टि से देखने से व उनके साथ अलगाव का व्यवहार करने से ये बच्चें विद्यालय से नहीं जुड पाते है।

2. **मुकेश कुमार तंवर (2002)** ने डी.पी.ई.पी भीलवाड़ा में विकलांग बालकों की समस्या पर अध्ययन किया जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांग बालकों की शिक्षा में आने वाली समस्या का पता लगाना व इसके सुझाव देना था। इस अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष थे–

1. 80 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि विकलांग बालकों के बैठने हेतु पूर्ण रूप से सुविधाजनक पाया गया।
2. 90 प्रतिशत अध्यापकों के अनुसार विद्यालय में विकलांग बालकों का रिकॉर्ड सन्धारित किया जाता है।
3. 30 प्रतिशत अध्यापकों के अनुसार विकलांग बालकों हेतु पाठ्यसहगामी प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है।
4. 15 प्रतिशत अध्यापकों के अनुसार विकलांग बालकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन दिया जाता है।

3. **श्रीकांन, भारतीय (2002)** कोटा जिले में विद्यालयी गतिविधियों में समाज की भागीदारी के प्रभाव का अध्ययन किया इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित है–

1. सुविधा बढ़ने से बच्चें विद्यालयों की ओर आकर्षित हुए है और नामांकन भी बढ़ा है किन्तु वंचित बालक काफी बताए गए।
2. विद्यालयों के निकट की उपलब्धता होने से शिक्षा के अवसर अधिक बढ़े है।
3. निर्धन बालिकाओं के विद्यालय न आने का मुख्य कारण छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना बताया गया।
4. स्कूलों में क्रेच या स्कूल में उपलब्ध एस्कोर्ट छोटे बच्चों की देखभाल करने से अनेक बालक विद्यालयों से जुड़ सकते है।
5. प्रवेशोत्सव, खेलकूद स्वाधीनता दिवस आदि अवसरों पर समाज का शाला से जुडने एवं जनभागीदारिता से नामांकन तथा ठहराव में वृद्धि हुई है।

4. **मृदुला गर्ग (2003)** ने विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धि जाति लिंग परिवार की आय एवं इसके बीच की अन्तः क्रिया के प्रभाव का अध्ययन विषय पर मध्यप्रदेश के सतना जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा पांच में अध्ययनरत शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं विद्यालय नियमितता का अध्ययन किया। इसमें 200 न्यादर्श लिया एवं स्वयं निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित है–

1. लिंग का शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
2. जाति का शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव पाया गया। सामान्य जाति के विद्यार्थियों की उपलब्धि गैर सामान्य जाति के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पायी गई।
3. परिवार की आय का शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव पाया गया।

5. **शर्मा संदीप (2004)** ने राजस्थान व हरियाणा के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया जिसका मुख्य उद्देश्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति राजस्थान तथा हरियाणा के अभिभावकों व शिक्षकों का अभिमत जानना एवं विद्यार्थियों की उपलब्धि का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित पाये गये।

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति राजस्थान व हरियाणा के अभिभावको का अभिमत सकरात्मक नही पाया गया।
2. जिला प्राथमिक शिक्षा के प्रति राजस्थान व हरियाणा के शिक्षकों का अभिमत सकरात्मक नहीं पाया गया।
3. ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की उपलब्धि गणित विषय में शहरी क्षेत्र की बालिकाओं की अपेक्षा अधिक पायी गई।

समस्या कथन

झुंझुनूं जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित 'लहर परियोजना' के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण एवं विद्यार्थियों के नामांकन व ठहराव का अध्ययन"

शोध के उद्देष्य

1. झुन्झुनूं जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण का अध्ययन करना।
2. झुन्झुनूं जिले में बालक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन व ठहराव का अध्ययन करना।
3. "ैप्ण्। से पूर्व तथा पश्चात् विद्यार्थियों के नामांकन तथा ठहराव की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

इस समस्या के अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं को लिया गया है–

1. झुन्झुनू जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ब्लाक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन तथा ठहराव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3. जिले में S.S.A के बाद विद्यार्थियों का नामांकन तथा ठहराव पूर्व की अपेक्षा अधिक हुआ है।

उपयोग किये गये पदों की व्याख्या

विद्यालय वातावरण– विद्यालय वातावरण में वे सभी घटक शामिल होते है जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बालक के जीवन और काम आने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करते है।

नामांकन– विद्यालय में छात्र उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या नामांकन कहलाती है।

ठहराव– नामांकित बालकों के ठहराव से अभिप्राय यह है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बालक–बालिकाएँ 5 वर्ष पश्चात् इस विद्यालय से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करके ही निकले इसके लिए विद्यालय में ठहराव पंजिका का संधारण किया जाता है ठहराव पंजिका से 5 वर्ष या इससे कम वर्षो का ठहराव निकालते है।

कक्षा–5 में अध्ययनरत छात्र+छात्र+स्वर्गवासी विद्यार्थी+विद्यालय छोड़कर गये विद्यार्थी $_{100}$
5 वर्ष पूर्व कक्षा 1 में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी

समस्या का परिसीमन

1. प्रस्तुत शोध में झुन्झुनूं जिले का चयन किया गया है।
2. झुन्झुनूं जिले के अन्तर्गत 5 ब्लाकों का चयन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को चुना गया है।
4. प्रस्तुत शोध में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्रा. विद्यालयों को चुना गया है जिसमें लहर परियोजना संचातिल है।
5. इस शोध के लिए न्यादर्श के रूप में 80 विद्यार्थी जिसमें से 40 छात्र व 40 छात्रा, 20 प्रधानाध्यापक, व अध्यापक, 20 अभिभावकों का चयन किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में न्यायदर्श के रूप में 120 विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक व अध्यापक तथा अभिभावकों को लिया गया है।

निष्कर्षः–

.1. झुन्झुनूं जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण का अध्ययन करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्त्री द्वारा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत सहमति में 82.48 प्रतिशत एवं असहमति में 17.5 प्रतिशत प्राप्त हुए। सहमति में प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत बहुत अधिक है। जिससे उक्त अध्ययन के प्रथम उद्देश्य झुन्झुनूं जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण के अध्ययन की पूर्ति हुई है। झुन्झुनूं जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण में सार्थक अन्तर नहीं है को सिद्ध करने के लिए निर्मित प्रश्नावली में 25 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया जिसमें से 21 प्रश्नों के उत्तर सहमति प्रदर्शित करते है जबकि 4 प्रश्नों के उत्तर असहमति। परिकल्पना संख्या 1 के प्रश्नों का मध्यमान 95.09 है जो कि अत्यधिक है। अतः परिकल्पना में सार्थक अन्तर है। अतः शून्य परिकल्पना झुन्झुनूं जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थी, प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों, अभिभावकों हेतु निर्मित कि गई प्रश्नावलीयों का मध्यमान क्रमषः 95.09, 98.40 एवं 92.00 है जो कि अत्यधिक है। अतः विद्यालय वातावरण में सार्थक अन्तर पाया गया है।

2.''ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन तथा ठहराव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत किया गया है।''(नामांकन तथा ठहराव हेतु लिये गये 5 ब्लॉक क्रमषः उदयपुरवाटी, चिड़ावा, झुन्झुनूं, नवलगढ़, अलसीसर में नामांकन तथा ठहराव का अन्तर प्रतिषत क्रमषः 0.44, 0.70, 0.22,0.90 एवं 0.28 है जो कि अत्यधिक कम है। अतः ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन तथा ठहराव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपसंहार–

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान ने राजस्थान में लहर कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। लहर कक्ष में अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन तथा ठहराव को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थी अध्ययन में रूचि लेता है तथा स्व अधिगम करता है। इसके माध्यम से नामांकन तथा ठहराव को स्थिर किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

कपिल,एच.के. (1984) :अनुसंधान विधियाँ(व्यवहार विज्ञानों में) एच.पी.भार्गव बुक हाउस
सरीन, डॉ.श्रीमती शषिकला एवं सरीन, डॉ.अजंनी :शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ (सांख्यिकी सहित पुस्तक मंदिर आगरा–2
पाठक, पी.डी.(2000) :शिक्षा मनोविज्ञान विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
शर्मा.बी.एन, :शिक्षा मनोविज्ञान साहित्य प्रकाशन आपका बाजार हा, रोड़, आगरा–3
भार्गव, महेष :आधुनिक मनोविज्ञान तथा मापन निर्देषन 2000 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
सरीन एण्ड सरीन (2005) :शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिषिंग हाउस प्रा.लि.,नई दिल्ली
मंगल, डॉ.अषुं :शैक्षिक अनुसन्धान की विधियाँ एवं शैक्षिक सांख्यिकी
श्रीवास्तव,डॉ.डी.एन : 'अनुसन्धान विधियाँ
जैन,डॉ.पुखराज :भारतीय शासन एवं राजनीति
सिंह रोहित कुमार :राजस्थान सुजस सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जयपुर (राज0)
राष्ट्रीय शैक्षिक लंबवत् अध्ययन :स्कूल अनुशासन व विद्यार्थियों के शाला छोड़ने के कारण पर अध्ययन, जनरल ऑफ एज्यूकेषलन, साइकोलॉजी
सिंह गोविन्द : 'राजस्थान जिला दर्शन'
लहर माड्यूलर :राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर
शिविरा पत्रिका : माध्यमिक शिक्षा,राज0,बिकानरे
प्रदिप्ता रॉय एवं जे.एम.कपूर (1975) :कॉउसिल फॉर सोषल डवलपमेनट
कुलदीप कौर (1990) : पंजाब वि0वि0